# फर्द अहकाम

# कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी :– श्रीमती गटुबाई** **विपक्षी :– राज्य**

**किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि.** **पत्रावली संख्या : 77/21**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 06.04.2023<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम खेमा पुत्र धन्ना गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत खेमली द्वारा जारी सजरा दिनांक 23.05.2021, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, यूनियन बैंक खाता पासबुक की प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2000 की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादीगण के पति/पिता का नाम खेमराज पिता नन्दा अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में खेमा पुत्र धन्ना व खेमा पुत्र नन्दा को एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीगएर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के पति/पिता खेमा पुत्र धन्ना व खेमराज पुत्र नन्दा दोनो एक ही होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।<br>**–: <u>आदेश</u> :–**<br>परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3514, 3517, 3519, 3520, 3521, 3529, 3530, 3531, 3532, 3539, 3542, 3557, 3559, 3560, 3662 किता 15 रकबा 3.2779 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3525 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि में खातेदार खेमा पुत्र धन्ना के बजाय खेमराज पिता धन्ना उर्फ नन्दा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।<br>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।<br>**(श्रीकान्त व्यास)**<br>**सहायक कलक्टर**<br>**(SDO) मावली** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:53:30 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास,** R.A.S.

**मुकदमा नम्बर : 77/21 (वाद) GCMS No. : 2021/146**

**उनवान**

1. श्रीमती गटुबाई पत्नी खेमराज डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
2. श्री तुलसीराम पिता खेमराज डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
3. वरदी पुत्री खेमराज डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।

..................वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3514, 3517, 3519, 3520, 3521, 3529, 3530, 3531, 3532, 3539, 3542, 3557, 3559, 3560, 3662 किता 15 रकबा 3.2779 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3525 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि में खातेदार खेमा पुत्र धन्ना के बजाय खेमराज पिता धन्ना उर्फ नन्दा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:53:30 IST
Reason: SelfAttested